# न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 101/2022/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक : 08.03.2021
अन्तर्गत धारा : 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

## उनवान

1. श्रीलाल उर्फ लालजी राम पुत्र हीरालाल जाति कुमावत
2. सत्य सेवक पुत्र रामरतन जाति कुमावत
3. अशोक कुमार पुत्र जगदीश जाति कुमावत
   निवासीगण ग्राम नियाणा, तहसील छापीबड़ौद, जिला बारां

...अपीलार्थीगण

## बनाम

1. राजीवगांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला इन्द्रा कॉलोनी नियाना, पंचायत समिति, छीपाबड़ौद, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबड़ौद, जिला बारां

.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक – अपीलार्थीगण
श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 30.04.2025

अपीलार्थीगण ने जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक एफ–4(5)(74)राजस्व/06/4908 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2006 के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किये जाने के साथ अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, बारां के द्वारा तहसीलदार, छीपाबड़ौद एवं उप जिला कलक्टर, छबड़ा की अनुशंषा के उपरांत ग्राम नियाना की आराजी खसरा सं0 300/349 रकबा 38 बीघा 4 बिस्वा में से 4 बीघा किस्म चारागाह भूमि राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवनों के निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के नियम 2–(क) एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक प06(10)राज–6/99/2 दिनांक 13.02.2001 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

प06(10)राज/6/99/10 दिनांक 05.10.2001 के अनुसरण में उक्त प्रस्तावित भूमि राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला इन्द्र कॉलोनी नियाना, पंचायत समिति छीपाबड़ौद को शाला भवन एवं खेल मैदान हेतु शर्तो के अधीन निःशुल्क आवंटित किये जाने का आदेश दिनांक 05.09.2006 पारित किया गया।

2. अपीलार्थीगण के द्वारा जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक एफ–4(5)(74)राजस्व/06/4908 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2006 से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश की गई। प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रश्नगत आराजी में से अपीलार्थी क्र 1 को दिनांक 22.08.1980, अपीलार्थी क्र. 2 को दिनांक 22.05.1984 को तथा अपीलार्थी क्र. 3 को दिनांक 22.08.1980 को भूखण्ड आवंटित किये गये थे एवं आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा भी सरपंच ग्राम पंचायत बम्बोरी घाटा द्वारा जारी किये गये थे। उक्त भूखण्ड आराजी खसरा सं0 300/349 रकबा 38 बीघा 4 बिस्वा ग्राम वाके ग्राम नियाना के है तथा भूखण्ड आवंटन होने के बाद अपीलार्थीगण ने मकान बनाकर रहना चालू कर दिया और मय परिवार निवास करते हैं। इस प्रकार आवंटन आदेश दिनांक 05.09.2006 विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरित है, जो निरस्त होने योग्य हैं। प्रस्तावित भूमि पर मकान बने होने के कारण ही वक्त आवंटन पाठशाला को कब्जा नहीं दिया गया तथा दखल नामे में स्पष्ट लिखा था कि सड़क सीमा छोड़कर व इसके बाद 55 फुट पर व्यक्तियों के मकानात बने होने व नीवें खुदी होने के कारण इस भूमि को छोड़कर ही स्कूल को कब्जा दिया गया, ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के मकानात वाली भूमि पर आजदिनांक तक कब्जा नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में रेस्पो0 क्र. 1 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त तथ्य मौका जांच रिपोर्ट में आवंटन के पूर्व स्पष्ट नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.09.2006 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी में से अपीलार्थी क्र 1 को दिनांक 22.08.1980, अपीलार्थी क्र. 2 को दिनांक 22.05.1984 को तथा अपीलार्थी क्र. 3 को दिनांक 22.08.1980 को भूखण्ड आवंटित किये गये थे एवं आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा भी सरपंच ग्राम पंचायत बम्बोरी घाटा द्वारा जारी किये गये थे। उक्त भूखण्ड आराजी खसरा सं0 300/349 रकबा 38 बीघा 4 बिस्वा ग्राम वाके ग्राम नियाना के है तथा भूखण्ड आवंटन होने के बाद अपीलार्थीगण ने मकान बनाकर रहना चालू कर दिया और मय परिवार निवास करते हैं। उक्त तथ्य मौका जांच रिपोर्ट में आवंटन के पूर्व स्पष्ट नहीं किया गया। प्रस्तावित भूमि पर मकान बने होने के कारण ही वक्त आवंटन पाठशाला को कब्जा नहीं दिया गया। अपीलार्थीगण के मकान रेस्पो0 क्र. 1 को आवंटित भूमि के दिनांक के पूर्व के है तथा पट्टे के आधार पर ही मकान बनाये गये है। अपीलार्थीगण करीब 40 वर्षों से अधिक समय से परिवार के सहित निवास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि से अपीलार्थीगण को बेदखल करने का आदेश

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.09.2006 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक एफ–4(5)(74)राजस्व/06/4908 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2006 को न्यायोचित होना प्रकट किया गया। आवंटन आदेश दिनांक 2006 का होने से उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा वर्ष 2021 में 15 वर्ष पश्चात् पेश की गई है। प्रस्तुत अपील विलम्ब से पेश किये जाने का प्रार्थना–पत्र धारा 5 में अपीलार्थीगण के द्वारा कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि विलम्ब के संबंध में दिन–प्रतिदिन के विलम्ब की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। अतः अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश किये जाने से प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिंदु पर खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि मौके पर अपीलार्थीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही अपीलार्थीगण का निर्माण रहा है। आवंटन की पालना मे दिनांक 19.01.2007 को रेस्पो0 को दखलनामा देकर आवंटन की पालना कर दी गयी है, इस प्रकार अपील सारहीन है। अपीलार्थीगण राजकीय भूमियों पर अवैधानिक कब्जा करते हैं, जिनके विरूद्ध पूर्व में सरपंच से मिली भगत कर त्रुटिपूर्ण रूप से उक्त आराजी के पट्टे आदि प्राप्त कर लिये थे, जिनको जिला कलक्टर, बारां द्वारा निरस्त कर दिया गया है और संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। आवंटित आराजी स्कूल के लिये आवश्यक एवं जनहितार्थ व जनउपयोगी होने से सभी की सहमति से स्कूल के लिये आवंटित की गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थीगण प्रभावित व्यक्ति भी नहीं है। आवंटन आदेश वर्ष 2006 का है और आवंटन की अपील वर्ष 2021 में की गयी है, इस प्रकार आवंटन की अपील 15 वर्ष मियाद बाहर है, मियाद के संबंध में कोई ठोस कारण वर्णित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार किसी प्रकार का आवंटन नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। आवंटन नियमानुसार होने तथा प्रस्तुत अपील 15 वर्ष विलम्ब से पेश किये जाने पर अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण के द्वारा अपील प्रभावित पक्षकार होना वर्णित करते हुए प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ पेश की गई है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अपीलार्थीगण का कथन रहा है कि आवंटन आदेश दिनांक 05.09.2006 का है तथा आवंटित भूमि के कुछ भाग पर अपीलार्थीगण आवंटन के पूर्व से ही कई वर्षों से मकानात बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं। उक्त तथ्य मौका जांच रिपोर्ट में आवंटन के पूर्व स्पष्ट नहीं किया गया। प्रस्तावित भूमि पर मकान बने होने के कारण ही वक्त आवंटन पाठशाला को कब्जा नहीं दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रकरण में अपील न्यायहित में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित प्रकट होता है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2006 के विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा अपील 15 वर्ष के विलम्ब से पेश किये जाने से गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व प्रार्थना–पत्र

धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्षराकान को सुना जाकर प्रार्थना–पत्र धारा 5 का अवलोकन कर मनन किया गया। प्रस्तुत अपील विलम्ब से पेश किये जाने के संबंध में प्रार्थना–पत्र धारा 5 अनुसार कथन किया गया कि जिला कलक्टर, बारां के द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 05.09.2006 में वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण करीब वर्ष 1980 के आस–पास से काबिज चले आ रहे है और मकानात बना रखे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत के द्वारा प्रार्थीगणों को निःशुल्क पट्टा जारी किया हुआ था, इसलिए प्रश्नगत आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील पेश नहीं की गई। स्कूल के द्वारा भी प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, परंतु पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 17.12.2020 को जाहिर किया गया कि तुम्हारे मकानात तो स्कूल की भूमि पर है तथा तुम्हे बेदखल होना पड़ेगा। इसके उपरांत आवंटन आदेश की नकल दिनांक 15.01.2021 को प्राप्त हुयी, इस प्रकार नकल प्राप्ति के दिन से अपील अवधि मध्य है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अवधि मध्य मानी जावे।

9. प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 क्र. 1 की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 5 पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के प्रकरण संख्या 8/2010 बउनवान सरपंच ग्राम पंचायत गगचाना, पं0स0 छीपाबड़ौद बनाम अशोक कुमार वगे0 में दिनांक 30.06.2010 को ही आदेश पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण पक्षकार रहे हैं। अपीलार्थीगण राजकीय भूमियों पर अवैधानिक कब्जा करते हैं, जिनके विरूद्ध पूर्व में सरपंच से मिली भगत कर त्रुटिपूर्ण रूप से उक्त आराजी के पट्टे आदि प्राप्त कर लिये थे, जिनको जिला कलक्टर, बारां द्वारा निरस्त कर दिया गया है और संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। अतः प्रकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही रही है। प्रस्तुत अपील 15 वर्ष विलम्ब से पेश किये जाने पर अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

10. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर, बारां के द्वारा तहसीलदार, छीपाबड़ौद एवं उप जिला कलक्टर, छबड़ा की अनुशंषा के उपरांत ग्राम नियाना की आराजी खसरा सं0 300/349 रकबा 38 बीघा 4 बिस्वा में से 4 बीघा किस्म चारागाह भूमि राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवनों के निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के नियम 2–(क) एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक प06(10)राज–6/99/2 दिनांक 13.02.2001 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक प06(10)राज/6/99/10 दिनांक 05.10.2001 के अनुसरण में उक्त प्रस्तावित भूमि राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला इन्द्र कॉलोनी नियाना, पंचायत समिति छीपाबड़ौद को शाला भवन एवं खेल मैदान हेतु शर्तों के अधीन निःशुल्क आवंटित किये जाने का आदेश दिनांक 05. 09.2006 पारित किया गया। प्रश्नगत आराजी के संबंध में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज0 अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के प्रकरण संख्या 8/2010 बउनवान सरपंच ग्राम पंचायत गगचाना, पं0स0 छीपाबड़ौद बनाम अशोक कुमार वगे0 में दिनांक 30. 06.2010 को ही आदेश पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण पक्षकार रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक एफ–4(5)(74)राजस्व/ 06/4908 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2006 की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं रही हो। अपीलार्थीगण के द्वारा न्यायालय हाजा में अपील 15 वर्ष विलम्ब से पेश की गई

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 प्रार्थना–पत्र संलग्न करते हुए अपील के विलम्ब का उचित एवं संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि अपील मियाद के बिन्दु पर स्वीकार किये जाने से पूर्व कानूनन विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ संख्या 549 में प्रतिपादित है कि *An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainity and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a parties on in action, negligence or laches.* इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि *Liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay – held , application & appeal are liable to be dismissed.* इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कण्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। साथ ही पत्रावली का अवलोकन करे पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज0 अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के प्रकरण संख्या 8/2010 बउनवान सरपंच ग्राम पंचायत गगचाना, पं0स0 छीपाबड़ौद बनाम अशोक कुमार वगे0 में दिनांक 30.06.2010 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण पक्षकार रहे हैं। ऐसी स्थिति में 15 वर्षों के विलम्ब तक प्रकरण की जानकारी नहीं होने का कारण संतोषप्रद प्रकट नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से इस स्टेज पर मेटेंनेबल नहीं होने से मियाद के बिन्दु पर ही अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

11. निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(सजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा